भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **:** **917**

28 जुलाई, 20**1**5 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्‍तर

**खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जंक फूड को परिभाषित नहीं किया जाना**

**917**. **श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जंक फूड को परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण जंक फूड धड़ल्ले से बिक रहा है और इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय इस अधिनियम के तहत जंक फूड को परिभाषित करने और इस पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी ताकि जंक फूड के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान और आईसीएमआर ने जंक फूड पर कोई अध्ययन करवाया है; और

(घ) यदि हां, तो अध्ययन क्या प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)

1. : **खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 में “जंक फूड” को परिभाषित नहीं किया गया है।**
2. : **वर्तमान में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास एफएसएस अधिनियम के तहत जंक फूड को परिभाषित करने का कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है। तथापि, भारत में स्कूल के बच्चों को संपूर्ण पौष्टिक, सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए, केंद्रीय परामर्श समिति, एफएसएसएआई द्वारा दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।**
3. : **राष्ट्रीय पोषकता संस्थान (एनआईएन), आईसीएमआर ने जंक फूड पर कोई अध्ययन नहीं कराया है। तथापि एनआईएन कार्बनयुक्त मृदुपेय (सीडब्ल्यूबी) का सेवन करने से किशोरों और वयस्कों पर होने वाले दुष्प्रभावों के मूल्यांकन के लिए अध्ययन कराया गया था जिसमें युवाओं पर इसके उपभोग से शरीर में वसा की वृद्धि पाई गई थी।**
4. : **उपभोक्ता मामला विभाग तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने उपभोक्ताओं को शिक्षित/खाद्य सुरक्षा के संबंध में जागरूक बनाने के लिए, संयुक्त रूप से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। इसमें विभिन्न मीडिया में विज्ञापन अभियान चलाए गए हैं और फेसबुक, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर वृत्तचित्रों, शैक्षिक पुस्तकों, एफएसएसएआई की वेबसाइट पर सूचना देकर, प्रदर्शनियों/मेलों/कार्यक्रमों में स्टॉल लगाकर, जन जागरुकता अभियान द्वारा एफएसएसएआई ने अभियान चलाया है।**

**\*\*\***